



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



संख्या

/ए-3/1052

दिनांक :

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मूल, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर माओ अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	परियोजना आईडी/सीडी	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक सं.
1-	142047	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अप्रोजेक्टिल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत सिविल लाइन्स जनपद गोपडा में 528 मग (जी+3) प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।	2705.33	259/01/18-19

- यह कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विधिद्वारा के अनुसार कराया जायेगा।
- प्रस्तावित लेबर कार्य पूर्ण होने की तिथि तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.नं. के साथ ही संदर्भित किया जायेगा।
- प्रस्तावित लेबर कार्य पूर्ण होने के आधार पर माओ अध्यक्ष महोदय के उपरान्त प्रतिस्वीकृत करे प्रायः करते हुए कार्य कराया जाय। निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त प्रतिस्वीकृत करे प्रायः करते हुए कार्य कराया जाय।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रस्तावित धनराशि वित्त कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय पर्यवेक्षक द्वारा में उचित कार्य/मद में किया जायेगा।
- परियोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित माफ्याओं, कार्य प्राविधानों एवं विधिद्वारा को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- परिषदादेशान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विपक्षीय (युज्जीकेटी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व या सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आधुनिकित किया जाना प्रस्तावित है।
- खण्ड द्वारा न्यूनर सेस/जीएसटी/सीडी का भुगतान निम्नानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना का शक्य त्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- कार्य की लागत में आगे कोई मुद्दि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 18 मग में अपरय पूर्ण करा लिया जाये।
- प्रस्तावित परियोजना का सम्बन्धित खण्ड द्वारा रेरा (UPRERA) में पंजीकरण अवश्य करा लिया जाये। भवनों का रेरा में पंजीकरण लाभार्थियों की संख्या के आधार पर चरणों में कराया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात कार्य की निविदाएं इस प्रतिबंध के साथ आगति की जायेगी कि पंजीकरण के उपरान्त मात्र लागतविवों की वारतविक संख्या के आधार पर निविदाएं स्वीकृत की जाये एवं एतदनुसार ही भवनों का निर्माण कराया जाये।

AEI
30/12/2018

(आरो वी० यादव)
अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)
दिनांक 21.12.2018

- पुंरां 5230 / ए-3/1052
- धतिमि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1 निजी सचिव, आवास आयुक्त/ओआओ एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 - 2 मुख्य सारतुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
 - 3 वित्त नियंत्रक/परिषद वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 - 4 अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/राष्ट्रीय मूल, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 - 5 अधिशासी अभियन्ता(पी०-1)/निर्माण खण्ड-द्वितीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 - 6 मुख्यायन/सम्भरीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 - 7 परिषद स्टाफ आधिकार, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 - 8 कार्य भण्डन हेतु।

Sm Hand: Kumar S

7.5.13 7/11/18

7.5.13 7/11/18

7.5.13 7/11/18

Adhikar
21-12-18
अधीक्षण अभियन्ता (पी०)